



प्रेस नोट

दिनांक 22.07.2024

थाना मझगवां पुलिस द्वारा बाह्य राज्य से अपहरण किए गए 02 नाबालिग अपहृत बच्चों को सकुशल बरामद किया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर को उड़ीसा राज्य से 02 नाबालिग बच्चों को अपहरण कर जनपद क्षेत्रान्तर्गत होने की सूचना जरिये फोन राज्य उड़ीसा पुलिस के माध्यम से प्राप्त हुई, महोदया के द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए सर्विलांस सहित क्षेत्राधिकारी राठ के नेतृत्व में अपहृत दोनो बच्चों की सकुशल बरामदगी हेतु टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में थाना मझगवां पुलिस व सर्विलांस टीम के संयुक्त प्रयास से उड़ीसा पुलिस द्वारा साझा किये गये आवश्यक विवरण के आधार पर दोनो अपहृत नाबालिग बच्चों को सर्च अभियान चलाकर थाना मझगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरगांव जनपद हमीरपुर में अभियुक्त बासुदेव जल्ली पुत्र पबित्रा जल्ली के पास से बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.07.2024 को श्रीमती मिनाती प्रधान पत्नी गोपबन्धु प्रधान निवासी सिलानगर गजुआका विशाखपटनम आन्ध्र प्रदेश मूल निवासी अरखापुर पुरुषोत्तमनगर थाना जंगम उड़ीसा के द्वारा थाना पुरुषोत्तमनगर में स्वयं के 02 नाबालिग बच्चें 1. सोनाली प्रधान पुत्री गोपबन्धु प्रधान (उम्र करीब 10 वर्ष) व 2. विकास प्रधान पुत्र गोपबन्धु (उम्र करीब 06 वर्ष) के अभियुक्त बासुदेव जल्ली पुत्र पबित्रा जल्ली निवासी मोहनपुर स्टेशन रोड थाना खल्लीकोट जिला गंजम राज्य उड़ीसा द्वारा अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिस पर उड़ीसा पुलिस द्वारा दोनो बच्चों के बरामदगी हेतु प्रयास किये जा रहे थे कि अभियुक्त बासुदेव जल्ली की लोकेशन जनपद हमीरपुर उ0प्र0 के थाना मझगवां क्षेत्रान्तर्गत पायी गई। जिस पर उड़ीसा पुलिस के द्वारा हमीरपुर पुलिस के साथ आवश्यक विवरण साझा किये गये। जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू कर विभिन्न सुरागों और तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए कड़ी मेहनत और सूझबूझ से थाना मझगवां पुलिस व सर्विलांस टीम कार्यवाही करते हुए सर्च अभियान चलाकर दिनांक 22.07.2024 को मध्य रात्रि समय करीब 00.30 बजे अभियुक्त के जीजा दुलीचन्द्र पुत्र दौलत पाल के घर ग्राम सरगांव थाना मझगवां जिला हमीरपुर से दोनो अपहृत बच्चें 1. सोनाली प्रधान पुत्री गोपबन्धु प्रधान (उम्र करीब 10 वर्ष) व 2. विकास प्रधान पुत्र गोपबन्धु (उम्र करीब 06 वर्ष) को अभियुक्त बासुदेव जल्ली पुत्र पबित्रा जल्ली के पास बरामद किया गया। तत्पश्चात थाना मझगवां पुलिस के द्वारा नियमानुसार दोनों नाबालिग बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर भेजा गया। नाबालिक बच्चों की बरामदगी की सूचना हमीरपुर पुलिस द्वारा उड़ीसा पुलिस को दी गई है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद अपहृत बच्चों का विवरण:-

- 1.सोनाली प्रधान पुत्री गोपबंधु प्रधान (उम्र करीब 10 वर्ष)
- 2.विकास प्रधान पुत्र गोपबंधु (उम्र करीब 06 वर्ष) निवासीगण ग्राम-अरखापुर, थाना-पुरुषोत्तमपुर, जिला-गंजम, राज्य-ओडिशा

अपहृत बच्चों की बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्र0नि0 नन्दराम प्रजापति (थाना मझगवां)
2. हे0का0 महेन्द्र सिंह (थाना मझगवां)
- 3.हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार (सर्विलांस सेल)
- 4.का0 कृष्ण कुमार गुप्ता (सर्विलांस सेल)
- 5.का0 आशीष मिश्रा (थाना मझगवां)
- 6.का0 सौरभ शर्मा (थाना मझगवां)

